ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई0ए0एस0
ा नम्बरः–61/2015 प्रार्थना पत्र
ंजय पिता शांतिलाल आंचलिया, उम्र बालिग निवासी ऑफिस नम्बर 09, तृतीय
, 11/13 बोटावाला बिल्डिंग, सैन्ट्रल लाईब्रेरी के सामने, फोर्ट–मुम्बई

––––प्रार्थिया

बनाम

द्धार्थ टैक्स आर्केड प्राईवेट लिमिटेड, 34–सज्जनविलास एवरग्रीन, पटेलनगर–
लवाडा जरिये डायरेक्टर श्री महावीर बाबेल, मकान नम्बर 46–चांद विला, राजेन्द्र
र्ग रोड, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
र विकास न्यास, भीलवाड़ा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा(राजस्थान)
जस्थानराज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राज0)

–––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

थतः–

गोपाल अजमेरा – एडवोकेट–प्रार्थी

:: नि र्ण य :: दिनांकः–26.6.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक ा पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला ाड़ा में स्थित हाल आराजी संख्या 2705 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा सोहन पिता री दरोगा, निवासी मालोला के नाम खातेदारी दर्ज थी। वर्णित आराजी संख्या 2705 खातेदार सोहन पिता गिरधारी दरोगा ने 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि नंदा पिता गिरधारी , निवासी मालोला को विक्रय कर दी। इस कारण नंदा पिता गिरधारी दरोगा के आराजी संख्या 4654/2705 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा दर्ज हुई। नंदा पिता री दरोगा निवासी मालोला ने आराजी नं0 4654/2705 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा प्रार्थी को विक्रय कर दी। तथा प्रार्थी के खातेदारी हक में दर्ज हैं। आराजी संख्या में से खातेदार सोहन पिता गिरधारी दरोगा निवासी मालोला ने 1 बीघा 11 बिस्वा नंदा पिता गिरधारी दरोगा को विक्रय कर देने के पश्चात शेष भूमि आराजी संख्या रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि नरेन्द्र कुमार पिता रामसिंह ाल निवासी आर.सी.व्यास कॉलोनी एवं संजूलता पत्नि लक्ष्मणसिंह बाबेल निवासी ानगर भीलवाड़ा को विक्रय कर दी। इस कारण नरेन्द्र कुमार व संजूलता के नाम जी संख्या 2705/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज हुई तथा उक्त 1 बीघा 16 भूमि बाबत रिंग रोड़ अवाप्ति की कार्यवाही होकर उक्त आराजी 2705/1 वर्तमान पक्षी संख्या 2 नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम दर्ज चली आ रही हैं। आराजी 2705 में से 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम तथा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ो कि वर्तमान में नगर विकास न्यास, भीलवाडा के नाम दर्ज है उक्त रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा के मुकाबले 2 बीघा 01 बिस्वा बनता हैं। जबकि आराजी नम्बर 4654/2705 कबा 1 बीघा 11 बिस्वा के मुकाबले 1 बीघा 02 बिस्वा ही बनता हैं। इस रकबा बरारी से स्पष्ट होता है कि सड़क में 05 बिस्वा भूमि अधिक तरमीम होने से नगर विकास न्यास ारा नियमानुसार उक्त अधिक तरमीम शुदा रकबा जो अवाप्त की कर सड़क (रिग रोड़) ाराजी नम्बर 2705/1 से लगते हुए आराजी नम्बर 2705/2 से 2705/6 तथा 2705 ी. तक के हितबद्वधारियों को नियमानुसार सुनवाई कर मुआवजा प्रदान कर हिबद्वधारियों को खाते से आनुपातिक रूप से कुल 05 बिस्वा भूमि को अवाप्त कर न्यास के खाते में र्ज किया जाना उचित है तत्पश्चात 05 बिस्वा भूमि हितबद्वधारियों के खाते से कम कर ार्थी खातेदार के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के अनुसार ही धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर प्रार्थी के नाम अंकित भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार नक्शें में तरमीम करने का अधिकारी हैं । विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 164/07 के द्वारा भूमि अवाप्ति के तहत आराजी नम्बर 2705 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी। अवाप्ति के बाद भूमि भी आराजी नम्बर 2705/1 में रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज हैं। जबकि मौके पर नक्शें में 1 बीघा 16 बिस्वा के बजाय 2 बीघा 1 बिस्वा तरमीम हैं। इस प्रकार प्रार्थी का रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के बजाय 1 बीघा 02 बिस्वा ही बनता हैं। इस प्रकार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसी अनुसार अपने खाते में अंकित भूमि का नक्शें में तरमीम करवाना चाह रहे हैं। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग रहेगा। ताकि उसी अनुसार नक्शें में तरमीम की जाकर नक्शें में दुरूस्त हो सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हल्का आराजी नम्बर 4654/2705 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के अनुसार नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार वर्तमान स्थिति बाबत प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के निस्तारण का भाग होने के कारण उसी अनुसार प्रार्थी की आराजी तरमीम की जावें।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 26.6.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner